

महत्वपूर्ण परिपत्र

संख्या-अभी/II/100/सा.पत्रा.

दिनांक-12/07/2017

सेवा में,

सभी


लेखा अधिकारी (दुर्ग अभियंता)

विषय- भुगतान के मामलों में शीघ्र एवं नियमानुसार कार्यवाही करने बारे।

प्रायः भुगतान के मामलों में शीघ्र व नियमानुसार कार्यवाही न होने के कारण संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के मामलों में बढ़ती हो रही है। इन समस्याओं का निदान करने हेतु आपको निम्न दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिनको कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।


- 1 कार्यालय में भुगतान हेतु प्राप्त होने वाले सभी बिलों/आपूर्ति आदेशों को नियमानुसार डाक प्राप्त रजिस्टर में इंदराज करें।
- 2 भुगतान करते समय प्रथम प्राप्त प्रथम निवारण (FIFO) के नियम का कड़ाई से पालन करें। यदि यह संभव न हो तो मुख्य कार्यालय से पूर्व अनुमति फैक्स/टेलीफोनिक/मेल के माध्यम से अवश्य प्राप्त करें।
- 3 भुगतान के हर मामले को 7 दिनों के अंदर लेखा परीक्षण कर लौटाया जाए।
- 4 नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव में मामले को इस कार्यालय/संबन्धित कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें ताकि लेखा परीक्षण कर भुगतान में होने वाली देरी से बचा जा सके।

कृपया पावती प्रेषित करें।


अपर नियंत्रक

प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी, ई डी पी अनुभाग कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


व. लेखा अधिकारी (अभि)